हरियाणा सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

(राजनैतिक शाखा)

अधिसूचना

दिनांक 30 जून, 2014

संख्या सा०का०नि० 30/संवि०/अनु० 309/2014.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ट तथा 243यक के खण्ड (3) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा (ग्रुप क) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

भाग–I सामान्य

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) ये नियम राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा (ग्रुप क) सेवा नियम, 2014 कहे जा सकते हैं।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

परिभाषाएं।

2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "आयोग" से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग;

(ख) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा सरकार;

(ग) "राज्य निर्वाचन आयोग" से अभिप्राय है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ट के अधीन गठित राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा;

(घ) "राज्य निर्वाचन आयुक्त" से अभिप्राय है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ट के खण्ड (1) के अधीन हरियाणा के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया गया राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा;

(ङ) "सेवा" से अभिप्राय है, राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा (ग्रुप क) सेवा;

भाग–II सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप।

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट क में बताए गए पद होंगे तथा सेवा के सदस्य उनके सामने दर्शाए गए वेतनमानों में वेतन प्राप्त करेंगे:

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करना या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

नियुक्ति प्राधिकारी।

4. सेवा में पदों पर नियुक्तियां इन नियमों के परिशिष्ट ग के खाना 3 में दर्शाये प्राधिकारी द्वारा ही की जाएंगी।

योग्यताएं।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक वह इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में विनिर्दिष्ट योग्यताएं तथा अनुभव न रखता हो।

अयोग्यताएं।

6. कोई भी व्यक्ति,--

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या

(ख) जिसने जीवित पति/पत्नी के होते हुये, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया हो या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परंतु यदि राज्य निर्वाचन आयुक्त की इस सम्बन्ध में संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम में लागू होने से छूट दे सकता है।

भर्ती का ढंग।

7. सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी,—

(क) सचिव की दशा में,--

किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे अधिकारियों में से स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ख) जिला न्यायवादी की दशा में,--

किसी राज्य सरकार या भारत सरकार के अभियोजन विभाग में अनुरूप पद या विधि तथा विधायी विभाग में समकक्ष पदधारित अधिकारियों में से स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ग) मुख्य लेखा अधिकारी की दशा में,--

महा लेखाकार, हरियाणा के कार्यालय में वरिष्ठ लेखा अधिकारियों या वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारियों के पदधारित अधिकारियों में से स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

परिवीक्षा।

8. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह स्थानान्तरण आधार पर नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगाः

परन्तु--

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा अवधि में गिनी जायेगी;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर इस नियम के अधीन

नियत परिवीक्षा अवधि में गिनने की अनुमति दी जा सकती है; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि, परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरी होने पर, यदि वह किसी स्थाई पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण सन्तोषजनक न रहा हो तो वह, —

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; अथवा

(ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी रीति में कार्रवाई कर सकता है, जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें; अथवा

(iii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था:

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई हो, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर नियुक्ति प्राधिकारी,—

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य तथा आचरण सन्तोषजनक रहा हो तो,—

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है; अथवा

(ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो तो स्थाई रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है; अथवा

(iii) यदि कोई स्थाई रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि सन्तोषजनक ढंग से पूरी कर ली है।

ज्येष्ठता।

9. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जाएगी:

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिये अलग-अलग निश्चित की जायेगी:

परन्तु एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता निम्नानुसार की जायेगी,—

(क) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित

की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जायेगा जो अपनी पहली नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का दायित्व।

10. (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आदेश दिए जाने पर, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए दायी होगा।

(2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है,--

(i) कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण अथवा अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण राज्य सरकार के पास, हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय; या

(ii) केन्द्रीय सरकार अथवा ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो: अथवा

(iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय, जिसका नियन्त्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर सरकारी निकाय:

परन्तु सेवा के किसी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) या खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय की सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा।

वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामले।

11. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य सभी मामलों के सम्बन्ध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियन्त्रित होंगे, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन या राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाये या बनाये गए हों अथवा इसके बाद अपनाएं या बनाएं जाये।

अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें।

12. (1) अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में, सेवा के सदस्य समय-समय पर यथासंशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा नियन्त्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप जो लगाई जा सकती हैं ऐसी शास्तियां लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वह होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, के नियम 9 के उप-नियम (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा, जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में निर्दिष्ट है।

टीका लगाना।

13. सेवा का प्रत्येक सदस्य, टीका लगवायेगा और जब राज्य निर्वाचन आयुक्त किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे, पुनः टीका लगवायेगा।

राजनिष्ठा की शपथ।

14. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राज निष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी।

ढील देने की शक्ति।

15. जहां राज्य निर्वाचन आयुक्त की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, वहां वह कारणों को अभिलिखित करते हुए, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकता है।

विशेष उपबन्ध।

16. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो वह ऐसा कर सकता है।

आरक्षण।

17. इन नियमों में दी गई कोई बात, राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने वाले अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी:

निरसन तथा व्यावृति।

18. सेवा में लागू कोई सेवा नियम तथा इन नियमों में से किसी के अनुरूप कोई नियम जो इन नियमों के प्रारम्भ से तुरन्त पूर्व लागू हों, इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

परिशिष्ट क

(देखिये नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थाई	अस्थाई	जोड़	
1	2	3	4	5	6
1	सचिव	1	--	1	₹ 15600-39100+6400 ग्रेड पे (अपने वेतनमान में)
2	जिला न्याययादी	1	--	1	₹ 15600-39100+6400 ग्रेड पे
3	मुख्य लेखा अधिकारी	1	--	1	₹ 15600-39100+7600 ग्रेड पे

परिशिष्ट ख

(देखिये नियम 5तथा 7)

कम संख्या	पदनाम		सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति तथा राज्य निर्वाचन आयोग में से पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो।
1	2		3
1	सचिव	–	स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा : भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान का अधिकारी (अपने वेतनमान में) या हरियाणा सिविल सेवा के वरिष्ठ वेतनमान का अधिकारी (अपने वेतनमान में) या कार्यालय स्थापना/चुनाव मामलों में पांच वर्ष के अनुभव सहित राजपत्रित प्रथम श्रेणी अधिकारी;
2	जिला न्यायवादी		स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा : राज्य सरकार या भारत सरकार के अभियोजन विभाग मे अनुरुप पद या विधि तथा विधायी विभाग में समकक्ष पदधारित अधिकारियों में से स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
3	मुख्य लेखा अधिकारी		स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा : महा लेखाकार, हरियाणा के कार्यालय में वरिष्ठ लेखा अधिकारियों या वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारियों के पदधारित अधिकारियों में से या राज्य वित विभाग में मुख्य लेखा अधिकारियों के पदधारित अधिकारियों में से स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

परिशिष्ट ग

[देखिये नियम 4 तथा 12(1)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरुप	शास्ति लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
			1. छोटी शास्तियां		
1	सचिव	राज्य सरकार	(i) वैयक्तिक फाइल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी;	राज्य निर्वाचन आयुक्त।	सरकार।
			(ii) परिनिन्दा;		
2	जिला न्यायवादी		(iii) पदोन्नति रोकना;		
			(iv) आदेशों की उपेक्षा या उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी तथा संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण सरकार के पास है या संसद या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन सम्बन्धी हानि की पूरी या उसके भाग की वेतन से वसूली; तथा		
3	मुख्य लेखा अधिकारी				
			(v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना;		

1	2	3	4	5	6
			2. बड़ी शास्तियां		
			(vi) संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धियां रोकना; (vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं; (viii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद अथवा ऐसा पर जिसमें वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणतः रोक होगी, जिस ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था, उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निर्देशों के साथ या उसके बिना होगा; (ix) अनिवार्य सेवानिवृति; (x) सेवा से हटाया जाना, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी; (xi) सेवा से पदच्युति, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यतः निरर्हता होगी।	राज्य सरकार	

परिशिष्ट घ

[देखिये नियम 12(2)]

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1.	2	3	4	5
1 2 3	सचिव जिला न्यायवादी मुख्य लेखा अधिकारी	(i) पेंशन को नियन्त्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य या अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना; (ii) उसकी अधिवार्षिता के लिये नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।	राज्य सरकार	

एस०सी० चौधरी,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(POLITICAL BRANCH)

Notification

The 30th June, 2014

No. **G.S.R. 30/Const./Art.309/2014.**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 read with clause (3) of article 243K and article 243ZA of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules for regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana State Election Commission (Group A) Service namely: —

PART-I GENERAL

Short Title.

1. (1) These rules may be called the Haryana State Election Commission (Group A) Service Rules, 2014.

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

Definitions.

2. In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) "Commission" means the Haryana Public Service Commission;

(b) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department;

(c) "State Election Commission' means the State Election Commission, Haryana constituted under article 243K of the Constitution of India;

(d) "State Election Commissioner' means the State Election Commissioner, Haryana, appointed by the Governor of Haryana under clause (1) of article 243K of the Constitution of India;

(e) "Service" means the Haryana State Election Commission (Group A) Service;

PART-II RECRUITMENT TO SERVICE

Number and character of posts.

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules and members of the Service shall draw pay in the scale of pay shown there against:

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to, or reductions in, the number of such posts or

to create new posts with different designations and scales of pay either permanently or temporarily.

Appointing authority.

4. Appointment to the posts in the Service shall be made by the authority shown against each posts in column 3 of Appendix C to these rules.

Qualifications.

5. No person shall be appointed to any post in the Service unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules.

Disqualifications.

6. No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to any post in the Service:

Provided that the State Election Commissioner may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Method of recruitment.

7. Recruitment to the Service shall be made, —

(a) in the case of Secretary —

by transfer or deputation of an officer already in the service of the Government of India or any State Government;

(b) in the case of District Attorney—

by transfer or deputation of an officer holding an analogous post in Prosecution Department or equivalent post in Law and Legislative Department of State Government or Government of India;

(c) in the case of Chief Accounts Officer—

by transfer or deputation of an officer holding the post of Senior Accounts Officer or Senior Audit Officer in the office of Accountant General Haryana or an Officer holding the post of Chief Accounts Officer in the State Finance Department.

Probation.

8. (1) Persons appointed to any post in the service shall remain on probation for a minimum period of one year, if appointed on transfer basis:

Provided that,—

(a) any period after such appointment spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation;

(b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the service, may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule; and

(c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,-

If such person is appointed on transfer basis,—

(i) revert him to his former post; or

(ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit;

(iii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation:

Provided that the total period of probation, including extension, if any shall not exceed three years.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may. —

(a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory.—

(i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy; or

(ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy; or

(iii) declare that he has completed his probation satisfactorily.

9. Seniority, *inter se* of the members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the service: Seniority.

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre:

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows:-

In the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member who was drawing higher rate of pay in his previous appointment, and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointments and if the length of such

service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability to serve.

10. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve under,—

(i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a Municipal Corporation or a local authority or University within the State of Haryana;

(ii) the Central Government or a company, or association or a body of individuals, whether incorporated or not which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or

(iii) any other State Government, an international organization, an autonomous body not controlled by the Government or a private body:

Provided that no member of the Service shall be deputed to the Central or any other State Government or any organization or body referred to in clause (ii) and clause (iii) except with his consent.

Pay, leave, pension and other matters.

11. In respect of pay, leave, pension and all other matters not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been or may hereinafter be adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

Discipline, penalties and appeals.

12. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Service (Punishment and Appeals) Rules, 1987, as amended from time to time:

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeals) Rules, 1987 and the appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.

Vaccination.

13. Every member of the Service shall get himself vaccinated or re-vaccinated as and when the State Election Commissioner so directs by a special or general order.

Oath of allegiance

14. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of relaxation.

15. Where the State Election Commissioner is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

Special Provisions.

16. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment, if it is deemed expedient to do so.

Reservation.

17. Nothing contained in these rule shall effect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen, Physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the order issued by the State Government in this regard from time to time.

Repeal and savings

18. Any service rule applicable to the Service and corresponding to any of these rules which is in force immediately before the commencement of these rules, is hereby repealed:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

APPENDIX A

(see rule 3)

Serial Number	Designation of the post	Number of posts			Scale of pay
		Permanent	Temporary	Total	
1	2	3	4	5	6
1.	SECRETARY	1	----	1	₹ 15600-39100 + 6400 Grade pay (In his own pay scale).
2.	DISTRICT ATTORNEY	1	----	1	₹ 15600-39100 + 6400 Grade pay
3.	CHIEF ACCOUNTS OFFICER	1	----	1	₹ 15600-39100 + 7600 Grade pay

APPENDIX B

(see rule 5 and 7)

Serial Number	Designation of Posts	Academic qualifications/experience for appointment otherwise than by direct recruitment and by promotion within the State Election Commission
1	2	3
1	Secretary	By transfer/deputation: — An IAS officer in the senior Scale (In his own pay scale) Or An HCS officer in super-time scale (In his own pay scale) Or Class one Gazetted Officer with five years experience in handling office establishment/election matter.
2	District Attorney	By transfer/deputation: — By transfer or deputation of an officer holding an analogous post in Prosecution Department or equivalent post in Law and Legislative Department of State Government or Government of India.
3	Chief Accounts Officer	By transfer/deputation: — By transfer or deputation of an officer holding the post of Senior Accounts Officer or Senior Audit Officer in the office of Accountant General Haryana or an Officer holding the post of Chief Accounts Officer in the State Finance Department.

APPENDIX C

(See rule 4 and 12 (1)

Sr No.	Designation of posts	Appointing Authority	Nature of Penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate Authority
1	2	3	4	5	6
1.	Secretary	State Government	**MINOR PENALITIES** (i) warning with a copy in the personal file (character roll);	State Election Commissioner	Government
2	District Attorney	—do—	(ii) Censure;		
3	Chief Accounts Officer	—do—	(iii) withholding of promotion; (iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders to the Central Government, or a State Government or to a Company and association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority or University set up by an Act of Parliament or of the Legislature of State; and (v) withholding of increment of pay without commutative effect. **MAJOR PENALITIES** (vi) withholding of increment of pay with commutative effect;	State Government	
			(vii) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with a further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay; (viii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or Service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service, from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or Service; (ix) compulsory retirement; (x) removal from Service which shall not be a disqualification for future employment under the Government; (xi) dismissal from Service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.		

APPENDIX D

(See rule 12(2)

Sr No.	Designation of posts	Nature of order	Authority empowered to impose penalty	Appellate Authority
1	2	3	4	5
1 2 3	Secretary District Attorney Chief Accounts Officer	(i) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension. (ii) terminating the appointment of a member of the service otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation	State Government	

S.C. CHOUDHARY,
Chief Secretary to Government Haryana.

52410—L.R.—H.G.P., Chd.